



**Proposal Document for "Students' Group Accidental
Insurance Coverage Scheme" From Government
Owned/PSU Insurance Companies**

Financial Year - 2025-26

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

Jawahar Lal Nehru Marg,

Jaipur-302004, Rajasthan, India

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the name 'Anil Kumar'.

To

1. National Insurance Company Limited
2. The New India Assurance Company Limited
3. United India Insurance Company Limited
4. The Oriental Insurance Company Limited
5. State Insurance & Provident Fund Department
6. Any other PSU Company/Government-Owned Insurance Company

**NOTICE INVITING PROPOSAL FOR STUDENTS' GROUP ACCIDENTAL
INSURANCE COVERAGE SCHEME 2025-26**

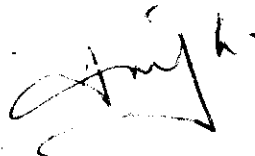
SCHEDULE

Notice Inviting Proposal No. and Date	No. DSW/2025/ 232 Dated:06.06.2025
Name of the work	Students' Group Accidental Insurance Coverage Scheme.
Name & Address of the Procuring entity	Registrar, University of Rajasthan, Jaipur
Estimated Premium Amount	Rs.24,90,000/-
Place of Information about the work and submission of Proposal documents	Dean, Students' Welfare & International Students' Advisor in University of Rajasthan, Jaipur. 0141-2710497
Last date & time for Proposal submission in sealed envelope and other Related Documents	18.06.2025, 4:30 pm.
Proposal Opening of Date, Time & Venue	19.06.2025, 03:00 pm. Old HRDC Hall, University of Rajasthan, Jaipur.

Note:-

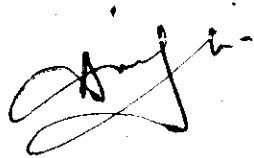
1. राजस्थान विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 के लिए 'सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना' के अन्तर्गत दुर्घटना तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर देयलाभ/बीमाधन राशि प्रति विद्यार्थी हेतु बीमित राशि (Sum Assured) प्रस्ताव Annexure-2 के अनुसार आमंत्रित करता है।
2. बीमा कंपनो को सम्पूर्ण बीमा हेतु प्रति छात्र बीमा प्रीमियम राशि रुपये 100/- (With GST) देय होगी।
3. प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में निर्धारित समय तक 'अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय' में जमा होंगे।

NIB-URA2526A0009
UBN-URA2526SLOB00047



4. प्रस्ताव बीमा कंपनी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से ही मान्य होंगे।
5. किसी भी बीमा एजेंट एवं निजी बीमा कंपनियों के प्रस्ताव अमान्य होगा।
6. उपापन संस्था को किसी भी बीमा प्रस्ताव को अस्वीकार करने एवं पूर्ण प्रक्रिया को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. विलम्ब से प्राप्त बीमा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं उपापन संस्था का इस संदर्भ में कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।
8. वित्तीय प्रस्ताव केवल परिशिष्ट – 2 में बिना ओवर राईटिंग/कटिंग तथा एक कंपनी द्वारा एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
9. उपापन प्रक्रिया में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के सभी प्रावधान, धाराएं तथा नियम यथावत लागू होंगे।

कुलसचिव



(कम्पनी के लैटर हेड पर प्रस्तुत करें)

सेवामें,

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

विषय :- 'सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना' हेतु दर प्रस्ताव

महोदया,

“सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना”

(सत्र 2025-26 के लिए)

हमारी कंपनी आपके 'सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना' हेतु प्रस्ताव मय विवरण प्रस्तुत कर रही है :-

1. बीमा कम्पनी का नाम व कार्यालय पता
2. आई.आर.डी.ए.आई. पंजीकरण संख्या/लाईसेन्स नम्बर (प्रति संलग्न करें)
3. PAN No./TAN No. (प्रति संलग्न करें).....
4. GST पंजीयन नम्बर (प्रति संलग्न करें)
5. जयपुर कार्यालय का पता
6. ई-मेल आई.डी./वेबसाईट
7. जयपुर कार्यालय में सम्पर्क अधिकारी का नाम, पता, ई-मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर, दूरभाष नम्बर नाम
- पता.....
- ई-मेल.....
- मोबाईल नम्बर दूरभाष नम्बर
8. कम्पनी द्वारा भारत के किसी भी विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान में दी गयी इसी प्रकार की सेवाओं का विवरण मय कार्य आदेश

संलग्न :- परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2

हस्ताक्षर मय मुहर
बीमा कम्पनी

कार्य विवरण एवं शर्तें

(Scope of work and conditions)

राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त संघटक महाविद्यालयों, शैक्षणिक विभागों/केन्द्रों के नियमित छात्र-छात्राओं, एम.फिल तथा शोध छात्रों के "सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना" में अभीष्ट कार्य का विवरण निम्न प्रकार होगा-

'सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना' में दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा निम्न प्रकार की क्षति होने पर देय होगा :-

विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी की दुर्घटना बीमा प्रीमियम रुपये 100/- (सभी कर सहित नियमानुसार) पर अधिकतम 'सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना' के अन्तर्गत प्रति विद्यार्थी देय बीमित राशि (Sum Assured), जिसमें दुर्घटना होने पर देय लाभ/बीमाधन राशि निम्न प्रारूप में आमंत्रित हैं:-

क्र. सं.	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	दुर्घटना पर देय लाभ/बीमाधन प्रतिशत
1.	(i) दुर्घटना से मृत्यु होने पर	100%
	(ii) दुर्घटना होने पर	%
	(iii) कम्पनी को एक दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम दी जाने वाली राशि। अलग-अलग दुर्घटना में यह सीमा प्रभावी नहीं होगी।	
2.	दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर	100%
3.	दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर	50%
4.	उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थी के सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में	100%
5.	आंशिक क्षति की दशा में :-	
	(अ) श्रवण शक्ति की क्षति की दशा में	50%
	(ब) एक हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति	40%
	(स) हाथ के अंगूठे की क्षति :-	
	1. हाथ के अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलिस्थियों की क्षति)	25%
	(द) हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति	
	1. किस भी अंगुली की समस्त अंगुलिस्थियों की क्षति पर	10%
	2. किसी भी अंगुली की दो अंगुलिस्थी की क्षति पर	8%
	3. किसी भी अंगुली के एक अंगुलिस्थी की क्षति पर	4%
	(य) पांव के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में।	
	1. दोनों पांवों का समस्त पावांगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलिस्थियों की क्षति)	20%
	2. पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलिस्थियों की क्षति)	5%
	3. पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलिस्थी की क्षति)	2%
	4. अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलिस्थियों की क्षति)	1%
6.	जलने के कारण क्षति :-	
	1. सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर	50%
	2. सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर	40%
	3. सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर	30%
7.	दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राईवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार लाभ देय है।	%
8.	बीमा कम्पनी द्वारा बीमाधारक को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं/लाभों का विवरण	

इस योजना के अन्तर्गत हाथ की क्षति से आशय कलाई अथवा इसके ऊपर से पार्थक्य होने से है। इसी प्रकार पैर की क्षति से आशय पैर के टखने (Ankle) अथवा इसके ऊपर से पार्थक्य होने से है। इस योजना के तहत हाथ के पार्थक्य (Physical Separation) का आशय कलाई अथवा इसके ऊपर से पार्थक्य होने से है। इस प्रकार पैर की के पार्थक्य (Physical Separation) से आशय टखना (Ankle) अथवा इसके ऊपर से पार्थक्य होने से है।

9. विश्वविद्यालय विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के आवरित (Covered) विद्यार्थी के बारे में निम्नलिखित सूची प्रदान करेगा :-

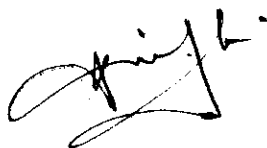
- विद्यार्थी का नाम
- विद्यार्थी का इनरोलमेन्ट नम्बर
- विद्यार्थी की कक्षा/सेमेस्टर एवं वर्ग (Section)
- विद्यार्थी के पिता या संरक्षक का नाम
- विद्यार्थी की आधार संख्या
- विद्यार्थी की आयु
- विद्यार्थी का स्थायी/पत्राचार का पता
- विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर
- विद्यार्थी के नामिनी का नाम व सम्बन्ध

10. प्रीमियम व अन्य शर्तें:

1. बीमा अधिनियम की धारा 64 (No Premium No Risk) वी.वी. के अनुसार प्रीमियम तीन चरणों में अग्रिम जमा कराया जायेगा इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सम्भावित संख्या 24900 है। कार्य की मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकती है। बीमित छात्रों की सूची प्रवेश के 30 दिवस में बीमा कम्पनी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
2. पॉलिसी अवधि एक वर्ष की होगी यानि अग्रिम प्रीमियम जमा होने के दिवस से प्रभावी होकर एक वर्ष (365 दिन) तक होगी।
3. पॉलिसी प्रारम्भ की तिथि के पश्चात् नये एनरोलमेन्ट/प्रवेश पाने वाले नियमित विद्यार्थियों को यह पॉलिसी का लाभ एनरोल/प्रवेश तिथि से लेकर केवल पॉलिसी की अन्तिम तिथि तक ही रहेगा।

11. पॉलिसी की अपवर्जन:-

1. किसी प्रकार की पूर्व विद्यमान अशक्तता।
2. जान बूझकर स्वयं को चोट ग्रस्त करना, आत्म हत्या या आत्म हत्या का प्रयास।



3. नशीली शराब या ड्रग्स या ऐसे किसी अन्य पदार्थ जो स्वयं की क्षति पहुंचाने हेतु स्वयं द्वारा सेवन करने से।
4. विद्यार्थी द्वारा आपराधिक प्रयोजन से कानून भंग किये जाने के फलस्वरूप।

12. दावा प्रक्रिया:-

सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने पर

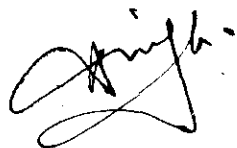
1. दावा प्रपत्र (बीमा कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित/ऑनलाईन उपलब्ध)
2. मृत्यु प्रमाणपत्र (मृत्यु होने पर)
3. नॉमिनी का शपथ पत्र
4. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, यदि लागू हो
5. एफ.आई.आर रिपोर्ट, यदि लागू हो
6. समाचार पत्र रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो
5. अन्य कोई सबूत
6. चिकित्सा व्यय के मूल बिल और डाक्टर की पर्ची एवं जाँच रिपोर्ट्स

13. अशक्तता की स्थिति में

1. दावा प्रपत्र
2. चिकित्सक का मूल प्रमाण-पत्र
1. अस्पताल में टिकिट, मेडिकल रिपोर्ट, चिकित्सा व्यय के मूल बिल रसीद
2. अन्य कोई दुर्घटना से सम्बन्धित आवश्यक कागजात जैसे एफ.आई.आर.
3. समाचार पत्र में खबर (यदि उपलब्ध हो)
4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अशक्तता प्रमाण-पत्र

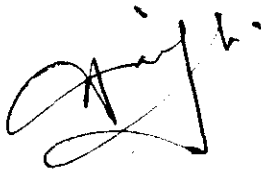
14. अन्य शर्तें :-

- समस्त दावा प्रपत्र मूल पत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से बीमा कंपनी को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- दावों की सूचना दुर्घटना घटित होने के 30 दिवस में बीमा कम्पनी को प्रेषित की जावेगी। परन्तु छः माह की अवधि तक दावा प्रपत्र बीमा कंपनी में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- प्रथम पक्ष के लिए पॉलिसी तथा दावों का समस्त पत्र व्यवहार अधिष्ठाता, छात्र कल्याण राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- बीमा कम्पनी सभी प्रकार के दावों का भुगतान छात्र कल्याण अधिष्ठाता, राजस्थान विश्वविद्यालय के माध्यम से करेगी।



- समस्त प्रपत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह (30 कार्य दिवस) में दावों का निस्तारण अनिवार्य रूप से करना होगा।
 - विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
15. **हर्जाना पूर्ति :-** बीमा कंपनी किसी भी प्रकार की भुगतान संबंधित आना-कानी करती है तो उसे हर्जाना पूर्ति करनी होगी। जिसमें विलम्ब अवधि के लिए ब्याज दावा राशि पर बीमित छात्र को भुगतान करना होगा।
 16. **बोलियों/प्रस्ताव का मूल्यांकन/अधिकांश लाभदायक (Most Advantageous)** बोलीदाता कम्पनी का नियमन विश्वविद्यालय की इस बाबत गठित उपापन समिति द्वारा किया जावेगा। जो सभी कम्पनियों को मान्य होगा।
 17. **Most Advantageous** बोलीदाता को Letter of Acceptance (LOA) जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में राशि रुपये 500/- के Non Judicial Stamp Paper (Purchase in Rajasthan) पर स्वयं के खर्चे से अनुबंध सम्पादित करना होगा।
 18. बीमा प्रस्ताव के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के सभी प्रावधान यथावत लागू होंगे।

कुल सचिव

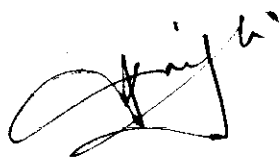


वित्तीय प्रस्ताव

राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त संघटक महाविद्यालयों, शैक्षणिक विभागों/केन्द्रों के नियमित छात्र-छात्राओं, एम.फिल तथा शोध छात्रों के "सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना" की प्रस्तावित देय बीमित राशि (Sum Assured) प्रस्तुत है-

- बीमित राशि दुर्घटना/दुर्घटना से मृत्यु होने पर होगी (बीमा कंपनी द्वारा क्रम संख्या-1 (i,ii,iii) एवं क्रम संख्या-8 में ही सम्पूर्ण बीमा हेतु देयलाभ/बीमाधन राशि प्रति विद्यार्थी एवं एक दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम दी जाने वाली बीमित राशि (Sum Assured) भरी जाये।)

क्र. सं.	बीमा कवरेज विवरण	दुर्घटना पर देय लाभ/बीमाधन प्रतिशत	बीमा प्रीमियम राशि रुपये 100/- (GST व अन्य कर सहित नियमानुसार) प्रति छात्र प्रतिवर्ष
1.	(i) दुर्घटना से मृत्यु होने पर	100%	
	(ii) दुर्घटना होने पर	%	
	(iii) कम्पनी को एक दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम दी जाने वाली राशि। अलग-अलग दुर्घटना में यह सीमा प्रभावी नहीं होगी।		
2.	दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर	100%	
3.	दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर	50%	
4.	उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थी के सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में	100%	
5.	आंशिक क्षति की दशा में :-	50%	
	(अ) श्रवण शक्ति की क्षति की दशा में		
	(ब) एक हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति	40%	
	(स) हाथ के अंगूठे की क्षति :-		
	1. हाथ के अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलिस्थियों की क्षति	25%	
	(द) हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति	10%	
	1. किस भी अंगुली की समस्त अंगुलिस्थियों की क्षति पर		
	2. किसी भी अंगुली की दो अंगुलिस्थी की क्षति पर	8%	
	1. किसी भी अंगुली के एक अंगुलिस्थी की क्षति पर	4%	
	(य) पांव के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में।		
	1. दोनों पांवों का समस्त पावांगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलिस्थियों की क्षति)	20%	
	2. पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलिस्थियों की क्षति)	5%	
	3. पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलिस्थी की क्षति)	2%	
	4. अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलिस्थियों की क्षति)	1%	
6.	जलने के कारण क्षति :-		
	1. सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर	50%	
	2. सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर	40%	



	3. सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर	30%	
7.	दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राईवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार लाभ देय है।	%	
8.	बीमा कम्पनी द्वारा बीमाधारक को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं/लाभों का विवरण		

प्रस्तावक का हस्ताक्षर मय मुहर

नाम:

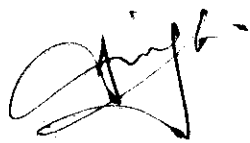
पूरा पता:

.....

फोन नम्बर:

मोबाईल नम्बर:

E-mail:



UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR

INSURANCE CLAIMS DATA FOR THE LAST THREE YEARS

(ACCIDENT/DEATH CLAIM 2022-23)

S.NO.	Name of student	Father/Mother Name	Class/Course	College/Department/Centre	Claim Pass	Remark
1.	Late Hitesh Nunia	Surendra Singh	B.A. LLB(Hons.)Sem.3 rd	University Five Year Law College,(14.09.23)	7,00,000	
2.	Rahul Sharma	Santosh Kumar Sharma	History I Semester	U.O.R./DSW/4121/11.12.23	70,000	

(ACCIDENT/DEATH CLAIM 2023-24)

S.NO.	Name of student	Father/Mother Name	Class/Course	College/Department/Centre	Claim Pass	Remark
1.	Piyush Prajapat	Sanjay Prajapat	LLB II Year	Law College/DSW/4553/03.07.24	54,740	

(ACCIDENT/DEATH CLAIM 2024-25)

S.NO.	Name of student	Father/Mother Name	Class/Course	College/Department/Centre	Claim Pass	Remark
1.	Late Chinmay Gour	Sanjay Sharma	BBA-II,	Commerce College (02.07.24)	12,00,000	
2.	Mr. Ganesh Jat	Shyoji Ram Jat	LLB-II	U.O.R. Law College (21.11.2024)	1,00,000	
3.	Late Vikash Yadav	Raj Mohan	M.Sc. Physics Sem.III	U.O.R. Physics Department (06.02.2025)	12,00,000	
4.	Late Harsh Nagoura	Ramesh Chandra	B.B.A. Part-III	University Commerce College	12,00,000	

